

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 07/2024 आवंटन निरस्त

- | | | |
|--|-----------|--|
| 1. राजेश माहेश्वरी पुत्र नंदलाल माहेश्वरी निवासी - पुरानी सब्जी मण्डी तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ | बनाम | 1. प्रभूलाल पिता मगना जाट निवासी रानीखेडा
2. मनभर पत्नी प्रभूलाल जाट निवासी रानीखेडा
3. भूराराम पिता भगवानराम जाट निवासी इन्द्रावड तहसील मेडता जिला नागौर
4. उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष भू-आवंटन समिति माण्डलगढ़
5. तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा |
| | -प्रार्थी | -विपक्षीगण |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970

उपस्थित -

- श्री राकेश चौहान अधिवक्ता - प्रार्थी की ओर से
- श्री रमेश चन्द्र सारस्वत अधिवक्ता - विपक्षी संख्या 01 की ओर से



निर्णय

दिनांक 06.03.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन समिति माण्डलगढ़ द्वारा दिनांक 20.12.2004 को मौजा ग्राम रानीखेडा तहसील माण्डलगढ़ में बिलानाम भूमि संख्या 2804/524 वर्तमान संख्या 2925/2804 में से 1 बीघा 8 बीस्वा भूमि का आवंटन नियम विरुद्ध किया गया था। प्रार्थी ने उक्त भूमि खनन विभाग से लीज पर ले रखी है एवं उक्त भूमि पर कई वर्षों से चाईना-क्ले का खनन कार्य किया जा रहा है। इसलिए भूमि उपलब्ध नहीं होने पर भी आवंटन समिति द्वारा नियम विरुद्ध आवंटन कर दिया गया। आवंटी भूमिहीन काश्तकार ज़हीं

नाम जोतने के लिए भूमि वक्त आवंटन के लगभग 6 बीघा भूमि आवंटी के हिस्से में थी। आवंटन के बाद आवंटी के नाम के साथ उसकी पत्नि विपक्षी संख्या-2 का नाम भी जमाबंदी में दर्ज करवा दिया गया जबकि आवंटन पत्रावली में केवल आवंटी का नाम है। आवंटी की पत्नि का नाम अंकित करना गलत एवं अपात्रता के कारण उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के नियमानुसार आवंटी को प्रथम वर्ष में भूमि के 50 प्रतिशत भाग पर काश्त करना अनिवार्य है एवं दूसरे वर्ष से सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करना आवश्यक है, किन्तु उक्त भूमि पर आवंटी का कभी भी कब्जा और काश्त नहीं रहा है। उक्त भूमि खनन विभाग से खनन कार्य हेतु लीज पर लेने के कारण कृषि योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि पर खनन के बड़े-बड़े खड्डे खुदे हुए हैं। जिस पर कई वर्षों से खनन कार्य किया जा रहा है। आवंटन वर्ष 2004 से ही आवंटी द्वारा काश्त नहीं की जा रही है, क्योंकि उक्त भूमि खनन क्षेत्र में होने से कृषि योग्य नहीं है। इस प्रकार आवंटन नियमों का फायदा उठाकर आवंटन करवाने के बाद बिना काश्त किए, गैर खातेदारी से खातेदारी के अधिकार प्राप्त कर लिए एवं विपक्षी संख्या 3 को उक्त आवंटित भूमि नियमविरुद्ध विक्रय कर दी गई। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी को आवंटित हुयी भूमि के आदेश दिनांक 20.12.2004 को अपास्त किया जाकर भूमि को बिलानाम दर्ज किया जाये।

विपक्षी संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी संख्या 1 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन समिति माण्डलगढ द्वारा दिनांक 20.12.2004 को मौजा ग्राम रानीखेडा तहसील माण्डलगढ में बिलानाम भूमि संख्या 2804/524 वर्तमान संख्या 2925/2804 में से 1 बीघा 8 बीस्वा भूमि का आवंटन विधि सम्मत किया गया। आवंटित भूमि के गैर खातेदारी अधिकार से खातेदारी अधिकार भी तत्समय आवंटी को प्राप्त हो चुके हैं। इस कारण नियम 14(4) का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य ठहरता हैं। उक्त आवंटन से पूर्व विधिवत् उद्घोषणा की गयी और आवंटन की पात्रता विपक्षी संख्या 1 व 2 को प्राप्त थी, इस कारण आवंटन किया गया। उक्त आराजी पर आवंटन से पूर्व चाईना क्ले की लीज स्वीकृति जारी नहीं थी और न ही प्रार्थी का कब्जा था। प्रार्थी को तथाकथित लीज दिनांक 20.10.2011 को खनि अभियन्ता, बिजौलिया द्वारा चाईना क्ले खनिज उद्देश्य से निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग के पत्र दिनांक 15.05.2007 के



की पालना नहीं की गयी हो, एवं न ही प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रामाणिक दस्तावेज पत्रावली पर पेश किया, जिससे जाहिर हो कि विपक्षी आवंटी को मिस-रिप्रजेन्टेशन या फ़ॉड तरीके से प्रश्नगत आराजी का आवंटन, आवंटन कमेटी द्वारा किया गया हो।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत कृषि भूमि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) सिद्ध नहीं होने से तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन व तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव—

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अस्वीकार किया जाता हैं। विपक्षी आवंटी को ग्राम रानीखेडा तहसील माण्डलगढ की आराजी संख्या 2804/524 जिसके वर्तमान नम्बर 2925/2804 में से रकबा 1.08 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डलगढ को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओमप्रकाश मेहरा)
अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

निर्णय